न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 02/2013

राजस्थान सरकार जरिये रवि जाघव, प्रर्वतन निरीक्षक, अजमेर ....प्रार्थी

बनाम

1. श्री दीपक वर्मा पत्र श्री विमल किशोर वर्मा निवासी 40/26, नई बस्ती रामगंज, अजमेर
2. श्री मनोज गुरूनानी पुत्र श्री वासुदेव गुरूनानी निवासी डिग्गी चौक अजमेर

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्र्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 04.08.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 06.11.2012 को जांच दल श्री रामेश्वर लाल शर्मा के मकान नं0 40/26 नई बस्ती रामगंज, अजमेर पर पहुॅचे। जहॉ घर के अन्दर एक कमरे मे चार व्यावसायिक गेस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल बिना सील लगें तथा गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी कम्पनी के तथा एक गैस रिफिलिग मशीन व मशीन पर दो रेगूलेटर मय पाईप से जुडे पाए गए। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नही किए ।

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा 23 घरेलू सिलेण्डर व 2 रेगूलेटर मय पाईप को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब नहीं पेश किया । उभय पक्ष द्वारा सुनवाई चाहने पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 06.11.2012 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर के निर्देशानुसार रवि जाघव, प्रवर्तन निरीक्षक, श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, एव श्री अमित कुमार शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक के साथ श्री रामेश्वर लाल शर्मा के मकान नं0 40/26 नई बस्ती, रामगंज, अजमेर पहुॅचे। मौके पर श्री दीपक वर्मा पुत्र श्री विमल किशोर निवासी 40/26, नई बस्ती, रामगंज, अजमेर उपस्थित मिले, जिन्होंने यह मकान उनके दादा का होना बताया एवं परिचय पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र की हस्ताक्षर युक्त छाया प्रति प्रस्तुत की । मौके पर उक्त मकान

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

की तलाशी लेने पर घर के बाहर बनी सीडियों के नीचे 13 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल के पाये गये, जिन पर भारत गैस की सील लगी हुई थी। घर के अन्दर एक कमरे में चार व्यावसायिक गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल बिना सील लगे तथा 6 गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी कम्पनी के तथा एक गैस रिफिलिग मशीन जिसकी मोटर पर **ALFA BETA HI-LIFT (INDIA)** लिखा पाया गया व मशीन पर दो रेग्युलेटर मय पाईप से जुडे पाये गये। मौके पर मैसर्स ख्वाजा गैस एजेन्सी बी.पी.सी.एल के कार्मिक श्री राधेश्याम पुत्र श्री चौथराम को बुलाकर मौके पर उपलब्ध समस्त 23 गैस सिलेण्डरो को पृथक तलपट बनाकर तोला गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

S.No	Com	Sr no	T.W	Gw	N.w.
1	Iocl	738764	15.6	15.6	0.00
2	Iocl	170706	16.0	16.0	0.00
3	Iocl	332905	15.4	15.4	0.00
4	Iocl	871105	15.7	15.7	0.00
5	Iocl	093971	15.7	15.7	0.00
6	Iocl	110880	16.6	18.2	1.6
7	Bpc	184195	19.2	19.2	0.00
8	Bpc	171192	19.3	19.3	0.00
9	Bpc	75376	19.5	19.5	0.00
10	Bpc	1095	19.1	19.1	0.00
11	Bpc	27389	19.1	37.1	18.0
12	Bpc	31625	19.1	38.3	19.2
13	Bpc	354814	19.4	38.9	19.5
14	Bpc	00042	19.4	37.1	17.7
15	Bpc	19048	19.0	38.2	19.2
16	Bpc	10138	19-3	38.9	19.6
17	Bpc	33481	19.1	38.0	18.9
18	Bpc	38435	19.2.	37.1	17-9
19	Bpc	170959	19.7	38.1	18.4
20	Bpc	183191	19.3	39.0	19.7
21	Bpc	28261	19.2	39.0	19.8
22	Bpc	103918	19.1	37.9	18.8
23	Bpc	7331	19.1	37.5	18.4
	T0Tal				246.7

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

जांच दौरान उक्त सिलेण्डरो बाबत उपस्थित श्री दीपक वर्मा पुत्र श्री विमल किशोर से पूछने पर बताया कि उक्त व्यावसायिक गैस सिलेण्डर विभिन्न उपभोक्ताओ के है जिस बाबत उसने उक्त 17 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरो के बिल वाउचर प्रस्तुत किये जिनका विवरण पृथक से लिखा गया है। घरो में पाये गये गैस सिलेण्डरों का कोई संतोषजनक जवाब या दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नही किये गये। 17 व्यावसायिक गेस सिलेण्डरों बाबत श्री दीपक ने बताया कि उक्त सिलेण्डर श्री मनोज गुरूनानी पुत्र श्री वासुदेव गुरूनानी डिग्गी चौक, अजमेर से प्राप्त किये है तथा बताये स्थान पर उसके द्वारा सप्लाई किये जाते है। इस प्रकार श्री दीपक वर्मा पुत्र श्री विमल किशोर वर्मा द्वारा अनुज्ञा पत्र के निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में गैस का भण्डारण कर एवं गैस सिलेण्डरो का कारोबार के द्रविकृत गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 एवं राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञा एवं नियंत्रण) आदेश 1990 का उललंघन किया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनिम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जेराज लिये गये 23 घरेलू गैस सिलेण्डरो व 2 रेग्युलेटर मय पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 29.08.2014 को श्री शिवराज गुर्जर अभिभाषक उपस्थित आये । अप्रार्थी 1 के द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने पर जवाब बन्द किया गया । पेरोकार सरकार ने अप्रार्थी संख्या 2 के सही पते उपलब्ध नही होने बाबत जवाब प्रस्तुत किया गा ।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया है वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 23 घरेलू गैस सिलेण्डरो व 2 रेग्युलेटर मय पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर